

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 07/03/2023

क्र. एफ IPI/5/0018/2022/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स कशीदा एपरेल प्रायवेट लिमिटेड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र जैतापुर पलासिया, जिला धार में लगभग रूपये 108.82 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से दो चरणों में नवीन परिधान निर्माण इकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव (क्रमांक DIPIP 12207270001) पर निम्नानुसार सुविधाये दी जाये -

1. निवेश प्रोत्साहन सहायता - उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता परियोजना अन्तर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 35 प्रतिशत की स्थिर दर से 7 वर्षों की अवधि में शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। योजनांतर्गत इकाई को रोजगार गणक एवं निर्यात गणक का लाभ पृथक से प्राप्त होगा।
2. विद्युत टैरिफ में रियायत - वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्षों हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रू. 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट प्रदान की जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।
3. डॉरमिट्री हेतु अनुदान - इकाई द्वारा वाणिज्यिक प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गये कुल व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 1 करोड़ की प्रतिपूर्ति MPIDC द्वारा अधोसंरचना विकास अनुदान के मद से की जाये।
4. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) अंतर्गत परिधान निर्माण क्षेत्र की इकाईयों को प्रावधानित अन्य सुविधाओं का (विद्युत टैरिफ की रियायत को छोड़कर) लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्रदान किया जाये।
5. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।
6. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार


(मनीष सिंह)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
निरंतर

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 3. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।
 4. कलेक्टर, जिला धार ।
 5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
 6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स कशीदा एपरेल प्रायवेट लिमिटेड, 13th Floor, Capital Cyber Scape Sector-59 Golf Course Extension Road, Gurugram-122002, Haryana, India.
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग